Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 3, May-June – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 12/05/2020 **Accepted on : 27/05/2020** **Publication Date: 30/06/2020**

महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक आयाम : पंचायतीराज संस्थाओं के विशेष संदर्भ में

डॉ. नीति मीणा
पोस्ट डॉक्टोरल फैलो, (आई.सी.एस.एस.आर., नई दिल्ली) समाज विज्ञान शोध केन्द्र,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
ई.मेल. neetimeena@gmail.com

शोध सारांश : लैंगिक असमानता एवं महिला अशिक्षा को दूर करने हेतु 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' की आवश्यकता को महसूस कर महिला प्रस्थिति में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे है, जिससे महिला सशक्तिकरण को वास्तविक रूप से चरितार्थ किया जा सके। 21वीं सदी विकास की सदी है। अतः यह अवश्यंभावी है कि समानता के आधार पर स्त्री–पुरूष अपना भरपूर योगदान प्रदान करें जिससे विकास की गति को ऊर्जा प्राप्त हो। किंतु विडम्बना यह है कि परम्परागत पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं को द्वितीय पायदान पर समझा जाना, उनकी योग्यताओं की अवहेलना करना, उन्हें अवसरों का समुचित लाभ न मिलना, समाज में व्याप्त कुरीतियां, अशिक्षा, ऊंच–नीच आदि अनेक ऐसे कारक है जो महिलाओं के सर्वांगींण विकास में अवरोधक सिद्ध हुए है। महिलाओं को जहां एक ओर देवी तुल्य मान उनकी पूजा किया जाना तो दूसरी ओर, उनके साथ पशुवत् व्यवहार किया जाना अति अशोभनीय कार्य है। इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों, यथा–सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि में सर्वप्रथम प्राथमिकता किसे दी जाए जो अन्य आयामों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो!

महिला राजनीतिक सशक्तिकरण सदैव से ही चिंतन एवं चर्चा का विषय रहा है, जिसके अंतर्गत शासन व्यवस्था के निचले स्तर अर्थात् स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उन्हें तैतीस प्रतिशत आरक्षण (जिसे बढ़ाकर पचास प्रतिशत कर दिया है) प्रदान किया गया, जिसके आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं में महिला भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है। निर्णय –निर्माण प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता, महिला संस्तर में सुधार की नवीन पहल है।

प्रस्तुत आलेख के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक आयामों पर प्रकाश डालते हुए उनकी सक्रिय सहभागिता तथा निर्णय–निर्माण में उनकी भूमिका को रेखांकित करते हुए महिला राजनीतिक सशक्तिकरण में आने वाली बाधाएं एवं उनके समाधान को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

संकेतक शब्द : महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक आयाम, पंचायतीराज संस्थाएं, महिला आरक्षण, राजनीतिक सहभागिता ।

१ भूमिका :

'महि'– अर्थात् उत्सव एवं 'ला'– अर्थात् जननी। पुरूष के जीवन में उल्लास, उत्साह एवं हर्ष की जननी रूप या स्थाई अस्तित्व मान 'स्त्री' नाम धन्य बनकर मुग्ध भाव से रहती है, अनेक अपेक्षाएं रखती हैं।[1] पुरूष के जीवन में उल्लास लाने वाली महिला है, जो स्वयं अपेक्षा रखते हुए अपने कार्य –पथ पर सदैव अग्रसर रहती हैं। भारतीय संस्कृति में 'अर्द्धनारेश्वर' की संकल्पना को स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत महिला एवं पुरूष दोनों को ही समान महत्व प्रदान किया गया है, जिस प्रकार जीवन जीने के लिए शरीर के सभी अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना जरूरी है, उसी प्रकार समाज रूपी रथ के संचालन हेतु महिला एवं पुरूष, दोनों पहियों की समान गति से प्रगति होना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। इसमें भी महिला को पुरूष की तुलना में दोहरी भूमिका का निर्वाह करना होता है। प्रथम गृहणी के रूप में तथा द्वितीय श्रम–जीवी के रूप में। किन्तु विडम्बना यह है कि इक्कीसवीं सदी; जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग कहा जाता है, ऐसे समय में भी महिलाओं की दयनीय दशा होना, शोचनीय विषय है। पारम्परिक दृष्टि से, भारतीय समाज में कन्या को पराया धन माना जाता है । उन्हें अधिकाशंतः एक सहनशील, पतिव्रता, अबला आदि संज्ञाओं से सुशोभित तो किया जाता है परन्तु उनके योगदान को प्रायः अनदेखा ही किया जाता है। संपूर्ण विश्व एवं भारत में महिलाओं की स्थिति को अंग्रेजी के पांच 'पी' (Five 'Ps') से स्पष्ट किया जा सकता है–

(1) पितृ–प्रधान समाज (Patariachy)

(2) शक्तिक्षीणता (Powerlessness)

(3) उत्पादन के साधनों की कमी (Productive Resources Excess Inadequancy)

(4) निर्धनता (Poverty) एवं

(5) प्रगति की धीमी गति (Promotion advancement Insufficiency)।[2]

महिलाओं की दशा में सुधार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 'स्त्री वर्ष' (1975) एवं 'स्त्रियों के दशक' (1975–85) की घोषणा करते हुए वर्ष 1985 में अपनी रिपोर्ट द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि विश्व के विभिन्न भागों में न्याय एवं समानता हेतु महिलाएं संघर्षरत है।[3] स्त्रियों के विश्व–व्यापी सम्मेलन इस तथ्य के द्योतक है कि सभी राष्ट्र, महिलाओं के उत्थान हेतु प्रयासरत है।

मेक्सिको से बीजिंग तक महिलाओं के विश्वव्यापी सम्मेलनों का मुख्य ध्येय; भेदभाव समाप्त कर नीति–निर्माण में शक्ति–साझा द्वारा महिला सहभागिता को सुनिश्चित कर कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान करते हुए उन्हें सशक्त बनाना है।[4]

बीजिंग मंच से आगे (Follow-up Beijng), वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा तेइसवें विशेष सम्मेलन (न्यूयार्क) के आयोजन द्वारा 'विमैन–2000 : जैण्डर इक्वेलिटी, डवलपमेण्ट एण्ड पीस फॉर द ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी' को प्राथमिकता प्रदान की गई। वर्ष 2005 में उन्नचासवें सम्मेलन 'कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमैन' द्वारा बीजिंग मंच की समीक्षा की गई । इसमें भी महिला सशक्तिकरण को दोहराया गया। इसी क्रम में वर्ष 2010 में यू.एन. –वीमैन (द यूनाइटेड नेशन्स एन्टीटी फॉर जेण्डर इक्वलिटी एण्ड द एम्पॉवरमेण्ट ऑफ वीमैन) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के संस्तर में सुधार लाना एवं उन्हें सशक्त बनाना है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति से ही अनेक सकारात्मक प्रयास किए गए। भारतीय संविधान द्वारा महिला–पुरूष को समान अधिकार दिए गए। देश के विकास हेतु संचालित की जाने वाली विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण को मुख्य धारा में रखकर नीति–निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन भी किया गया किन्तु महिलाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार के लक्ष्य में हम अभी बहुत पीछे है। अतः यह आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझकर इसके राजनीतिक आयाम के आधार पर पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में उन्हें वास्तविक भागीदार बनाया जाए, जिससे वें स्वयं अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके।

२ महिला सशक्तिकरण : बहु–आयामी प्रक्रिया :

सशक्तिकरण, किसी के अधिकारों को समझने एवं प्रभावपूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह करने हेतु शक्ति प्राप्त करने का एक चरण है।[5] सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का अनुभव कराकर उन्हें सक्षम बनाती है। महिला सशक्तिकरण, एक विशाल आयाम हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी आधारों पर महिलाओं को सशक्त बनाकर उनमें आत्मविश्वास एवं स्वविवेक को जागृत कर उन्हें स्वयं अपना विकास करने हेतु समान अवसर एवं स्वतंत्रता उपलब्ध करवाता है। महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि महिलाएं शिक्षित हों। लैंगिक भेदभाव के बिना रोजगार एवं सम्पति में अधिकार, महिला आर्थिक सशक्तिकरण का द्योतक है तथा लोकतंत्र में सक्रिय जन–सहभागिता राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु नितान्त आवश्यक है।

३ महिला राजनीतिक सशक्तिकरण :

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण में राजनीतिक रूप से सशक्त होना महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी महिलाओं के राजनीतिक रूप से सक्षम होने का परिचायक है जो स्वयं में ही चर्चा एवं चिन्तन का विषय है। महिलाओं के सर्वांगींण विकास हेतु नीति–निर्माण में उनकी पूर्णरूपेण सहभागिता आवश्यक है।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु तीन मूल सिद्धान्त है–

(अ) लैंगिक समानता,

(ब) महिलाओं की संभावित क्षमता के समग्र विकास का अधिकार, एवं

(स) महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अधिकार।[6]

महिला सशक्तिकरण मात्र एक अवधारणा न होकर, सतत् सामाजिक एवं आर्थिक विकास की पूर्व–शर्त भी है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता तथा निर्णय–निर्माण में उनकी भूमिका एवं राजनीतिक कार्य–निष्पादन की निगरानी का मानक भी सशक्तिकरण का मुख्य अस्त्र है।[7] महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने हेतु उनकी सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। अतः उन्हें व्यवस्था के प्रत्येक चरण यथा–केन्द्रीय स्तर, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर समानता के आधार पर उचित अवसर प्रदान किए जाए जो न केवल उनके, वरन् अन्य महिलाओं के विकास की दिशा में अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा।

४ पंचायतीराज संस्थाएं एवं महिला सशक्तिकरण :

प्रारम्भ से ही 'पंचायत व्यवस्था' भारतीय शासन–प्रणाली की धड़कन रही है।[8] वास्तविक रूप से पंचायतें,लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत ढ़ांचें को प्रस्तुत करने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है जो स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से जन–सहभागिता को सुनिश्चित करता है। यह सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के आधार है। अतः यह आवश्यक है कि यह निकाय पूर्णरूपेण सक्षम हो तथा प्रभावीरूप से कार्य करें। बलवन्त राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय शासन की त्रि–स्तरीय व्यवस्था को अपनाकर 2 अक्टूबर सन् 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायतीराज व्यवस्था का शुभारम्भ किया गया। इस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायतीराज व्यवस्था में त्रि–स्तरीय व्यवस्था, जिसके अंतर्गत निम्न स्तर पर ग्राम–पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला–परिषद् का गठन किया गया। इस समिति ने यह भी सलाह दी कि खण्ड स्तर पर पंचायत समिति के 20 सदस्यों में से 2 सह–सदस्य महिलाएं होनी चाहिए । ऐसा कहा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश हेतु यह अधिकारिक घोषणा थीं, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा परिणत किया गया। जिसके अनुसार स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण स्तर) में तैतीस प्रतिशत स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित किए गए । यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रान्तिकारी कदम था जो उन्हें घर की चाहरदीवारी से सीधे सार्वजनिक जीवन में लाने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण था। किन्तु यह शक्ति, पूर्व प्रशिक्षण तथा अनुभव के अभाव में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु अपर्याप्त रहीं। संकीर्ण मानसिकता, पारम्परिक–सामाजिक व्यवस्था तथा शिक्षा के अभाव के कारण महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस कारण चयनित होने पर भी उन्हें अपने परिवार के पुरूषों के संरक्षण में रहकर कार्य करना होता था, उनकी स्वयं की कोई स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं थीं। परिणामस्वरूप 'सरपंचपति' 'पंचपति' 'महापौर पति' जैसी अनेक शब्दावलियां प्रचलित हुई। य़द्यपि तैतीस प्रतिशत स्थान आरक्षित होने से महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार[9] संख्यात्मक आधार पर तो होने लगा परंतु अनुभव एवं कार्यकौशल के आधार पर गुणात्मक रूप से वृद्धि नहीं हो पायी।

निर्णय–निर्माण ; विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं उनके मूल्यांकन तथा विकास के लाभ को साझा करने में महिला एवं पुरूष ; दोनों की सहभागिता की मांग करता है। किंतु जब महिलाओं का आरक्षण द्वारा राजनीति में पर्दापण हुआ तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक जटिलताएं तथा बैठकों में पुरूष सहकर्मियों की असहमति, महिला मुद्दों का निराकरण न हो पाना आदि ऐसी समस्याएं है, जो उनके लिए कार्यक्षेत्र में बाधाएं उपस्थित करती है। उन्होंने अपनी समझ एवं धैर्य से इस चुनौती को स्वीकार कर अपनी सहनशील प्रवृति के कारण बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का अनवरत् प्रयास किया है।

स्थानीय स्तर पर महिलाओं को अधिकाधिक लाभ मिल सके, इसके लिए यह आवश्यक था कि तैतीस प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर पचास प्रतिशत किया जाए, इसी क्रम में बिहार ऐसा प्रथम राज्य था, जिसने महिलाओं को स्थानीय स्तर पर पचास प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। इसके पश्चात् राजस्थान, छतीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, बंगाल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में महिलाओं के लिए शासन के तृतीय पायदान पर पचास प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। निश्चित रूप से यह प्रावधान, महिलाओं के लिए अवसर को बढ़ाने की उम्मीद लेकर आया। जिसका सकारात्मक प्रभाव महिला सहभागिता एवं राजनीतिक सशक्तिकरण पर पड़ा। पंचायतीराज संस्थाओं की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थिति, निर्वाचन प्राधिकारियों को संबोधित करना, शिक्षा, पेयजल की सुविधा, परिवार–नियोजन कार्यक्रम, स्वच्छता

एवं स्वास्थ्य तथा सड़क–निर्माण जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का सुनियोजित नीति–निर्माण एवं उनका संचालन, ग्रामीण विकास के लिए सुअवसर लेकर आया। महिलाओं की निर्णयन में सक्रिय सहभागिता का एक पक्ष यह भी रहा कि अब स्थानीय स्तर की राजनीति जाति, धर्म आदि मुद्दों से आगे बढ़कर महिला उत्थान, शराब के दुष्प्रभाव एवं घरेलू हिंसा को भी राजनीतिक एजेण्डे में शामिल किया गया ।

५ राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तिकरण :

पंचायतीराज व्यवस्था के समर्थकों की इच्छा थीं कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी बनें वरन् उसमें सक्रिय रूप से भागीदार भी बनें।[10] शासन–प्रणाली में स्थानीय स्तर पर ग्रामीण व्यवस्था को पुनः रचित करने में उनकी सहभागिता, विकास की सूचक है। यह समानता, विकास एवं शांति की मूलभूत आवश्यकता है।

महिला राजनीतिक सहभागिता का निम्न तीन आयामों के आधार पर आंकलन किया जा सकता है–

(1) मतदाता के रूप में,

(2) निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, तथा

(3) वास्तविक निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता।[11]

संविधान लागू होने के साथ ही महिलाएं भी पुरुषों की भांति मतदाता के रूप में भारतीय शासन व्यवस्था की सहभागी रहीं। स्थानीय स्तर पर आरक्षण के आधार पर महिलाओं के लिए स्थान सुनिश्चित होने से उन्हें निर्वाचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लेकिन अब समय आ गया है कि वें नीति–निर्माण में स्वयं भागीदार बनें, जिससे संख्यात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक आधार पर भी वें राजनीतिक रूप से सबल बने सकें।

सदैव से ही महिलाएं अपने दायित्वों के प्रति सजग रहीं है। वें घरेलू तथा सामुदायिक कार्यों के प्रति कर्मठ हैं। अपने आस–पास की समस्याओं एवं उनके समाधान से भी वें भली–भांति अवगत हैं कि सड़क निर्माण, बिजली, स्वच्छ पेयजल, राशन की दुकानों, शिक्षणालयों, अस्पतालों एवं पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था, कृषि तथा इससे जुड़े अन्य व्यवसायों का नियमन एवं प्रबन्धन द्वारा, क्षेत्र विशेष का विकास किया जा सकता है। महिला सम्बन्धी मुद्दों; यथा– महिला हाईज़ीन, बालिकाओं एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण की व्यवस्था तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने की दिशा में नीति निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन, सामाजिक कुरीतियों के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा उन्हें समाप्त करना, लैंगिक भेदभाव को समूल नष्ट करना जैसैः विषयों पर महिलाएं बेहतर ढंग कार्य करने में निपुण है क्योंकि वें पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील है।

इनके अतिरिक्त वृहद् स्तर पर संचालित योजनाओं जिनमें; मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ–बेटी पढाओं, इन्द्रधनुष आदि का सुसंचालन भी अहम जिम्मेदारी है, जिसे वें बखूबी निभा सकती हैं। इसके साथ ही वें वित्त सम्बन्धी मामलों का उचित संचालन करने में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम है, मात्र उन योगताओं को पहचानने की है।

६ महिला सशक्तिकरण में बाधाएं एवं समाधान :

महिला सशक्तिकरण में सबसे बड़ी बाधा महिलाओं का अशिक्षित होना है, जिसके कारण वें संविधान द्धारा प्रदत्त अधिकारों से अनभिज्ञ है। अशिक्षा, गरीबी, परम्परागत सामाजिक व्यवस्था, संकीर्ण पुरूष मानसिकता, सदैव पराश्रित बने रहने का दबाव, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध तो इसके साथ राजनीतिक चेतना का अभाव भी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अवरोधक है। वर्तमान तकनीकी युग में, जहां दैनिन्दन कार्य यांत्रिक हो गए है। ऐसे में महिलाओं का उनसे अवगत न होना, उनके सम्मुख कठिनाई उत्पन्न करता है।

यदि महिलाओं को सच्चे अर्थ में हमें सशक्त बनाना है तो सर्वप्रथम इसका प्रारब्ध परिवार से करना होगा, क्योंकि परिवार ही प्रथम राजनीतिक संस्था है जहां समानता, स्वतत्रंता, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता जैसे मूलभूत सिद्धान्तों को वास्तव में आत्मसात कर अपनी भविष्यगामी यात्रा को सहज बनाने हेतु वें शिक्षित होती हैं, परिवार ही उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण प्रदान करता है। इसके साथ ही दायित्वों एवं अधिकारों का ज्ञान भी इस संस्था में रहकर प्राप्त किया जाता है जिससे कि गुणात्मक शिक्षा की नीवं मजबूत होती है।

यदि हम महिलाओं को सबल बनाना चाहते हैं तो लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, शिक्षा प्रदान करना जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। इसके साथ, महिलाओं को राजनीतिक सशक्त बनाने के लिए वर्षों से लम्बित महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित कर लागू किया जाए जो कि महिलाओं को स्व–निर्णय लेने तथा उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त होने हेतु अपरिहार्य है। यदि हम सतत विकास के लक्ष्य को वास्तविक क्रियान्वित करना चाहते है तो महिलाओं को सक्षम बनाना हमारा मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए।

७ निष्कर्ष :

वैश्विक स्तर से स्थानीय स्तर तक महिला सशक्तिकरण एक ज्वलंत विषय है, जिसके लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे है। किन्तु फिर भी महिलाओं के सशक्तिकरण में हम वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाएं है। राजनीतिक आधार पर उन्हें तभी सशक्त बनाया जा सकता है जब न केवल स्थानीय वरन् राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर पचास प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो, यह मात्र संख्यात्मक न होकर गुणात्मक रूप से हो। इसके साथ पुरूषों के मानसिक दृष्टिकोण को भी बदलने की महती आवश्यकता है, जो यह मानते है कि महिलाएं निर्बल एवं पराश्रित है। यह ज्ञात रहे कि राजनीतिक सशक्तिकरण ही सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की नीवं है।

संदर्भ सूची :

१ अन्सारी, एम., ए., (2001): 'राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी', ज्योति प्रकाशन, जयपुर, पृ. 1
२ स्वरूप, हेमलता, (1993) : 'एथ्निसिटी, जैण्डर एण्ड क्लास', इण्टरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हिस्टोरियन्स ऑफ द लेबर मूवमेण्ट, यूरो पॉवरलैग, वियेना, पृ. 1
३ सुगुना, बी., (2009) : 'विमैन्स् मुवमेण्ट्स', डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस प्राईवेट लिमिटेड, न्यू देहली, पृ. 178
४ रानी, जी., संध्या, (2010) : 'वीमैन्स् एडुकेशन इन इण्डिया–एन एनालिसिस', एशिया–पैसेफिक जर्न्ल ऑफ सोशल–साइन्सेस्, वॉल्यूम–II (1), जनवरी–जून http.//www.socialsciences-ejournal.org
५ पिल्लई,जे., के., (1995) : 'वीमैन एम्पॉवरमेण्ट', ज्ञान पब्लिशिंग हाऊस, न्यू देहली, पृ. 1
६ कपूर, प्रोमिला. (2001) : 'एम्पावरिंग द इण्डियन वीमैन', पब्लिकेशन्स डिवीजन, न्यू देहली प्रिफेस, पृ. 16
७ शर्मा, गणपति, राय. एवं व्यास, हरिश्चन्द्र, *(2008) :* 'उदीयमान भारतीय समाज और शिक्षा', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, द्वितीय संस्करण, पृ. 53
८ डे.,एस.,के., (1996) : 'पंचायतीराज–ए सिन्थेसिस', एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, पृ. 4
९ दास.,भगवान., (2000) : 'मूवमेन्ट्स इन ए हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन', इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 35, नं. 43–44, अक्टूबर, पृ. 3831–3834
१० शंकर, ऋचा, 'मेज़रमेण्ट ऑफ वीमैन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एट द लॉकल लेवलः इण्डियन एक्सपीरियसन्स्', मिनिस्ट्री *ऑफ स्टेटिटिक्स* एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेण्टेशन्, इण्डिया https://unstats.un.org/unsd/gender/Mexico_Nov2014/Session%206%20India%20paper.pdf
११ वहीं, पृ.3.